भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **986**

दिनांक 27 जून , 2019 / 6 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

छोटे शहरों में विमानपत्तन का विस्तार

986. श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रविन्द्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री पी.पी.चौधरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देशभर में छोटे शहरों में विमानपत्तनों का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) अगले तीन वर्षों में कौन-से विमानपत्तनों का विस्तार किया जाएगा;
(ग) क्या सरकार का वायु सेना की सहायता से सरकार का नोएडा विमानपत्तन और जोधपुर जैसे सैन्य विमानपत्तनों पर रात्रि में वायु सेवाएं प्रदान करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): नागर विमानन मंत्रालय ने, वर्तमान में देश के अल्पसेवित और असेवित हवाईअड्डों, जिनमें छोटे शहरों के हवाईअड्डे भी शामिल हैं, के लिए क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कता को सुगम बनाने/प्रोत्साहित करनेके लिए अक्टूबर 2016 में क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना आरंभ की है। योजना के अंतर्गत हवाईअड्डों का विस्तार 'मांग द्वारा निर्दिष्ट' है,जो एयरलाइन प्रचालकों के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से विभिन्न रियायतें प्रदान करने के लिए ठोक प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

(ग) से (ड.): अवसंरचना में सुधार लाना, जिसमें हवाईअड्डों पर रात्रि में हवाई सेवाओं का प्रावधान भी शामिल है, एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात मांग, प्रचालनिक आवश्यकताओं, एयरलाइनों की ओर से मांग, तकनीकी व्यवहार्यता/ऐसे हवाईअड्डों के लिए/से प्रचालन करने की एयरलाइनों की इच्छा आदि के आधार पर ये प्रक्रिया चलाई जाती है।

*****